

# राजस्थान सरकार

## जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 ( )सहरिया/आश्रम छात्रा./सीटीएडी/2014-15

दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी,  
सहरिया विकास परियोजना शाहबाद,  
जिला बारां।

विषय :- बहुदेशीय सहरिया कन्या छात्रावास जिला बारां में आवासीय विद्यालय संचालन हेतु 4 कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, प्रधानाचार्य रूम एवं स्टाफ रूम निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 12029-31 दिनांक 01.04.2021 बहुदेशीय सहरिया कन्या छात्रावास जिला बारां में आवासीय विद्यालय संचालन हेतु 4 कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, प्रधानाचार्य रूम एवं स्टाफ रूम निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी।

कार्यकारी एजेन्सी, स्वच्छ परियोजना से उक्त कार्य का तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

Sr. No.	Name Of Work	Amount
1	Construction of 4 Nos. Additional Rooms, Principal Room, Staff Room, Computer Room, Library At Ground, Ist and IInd floor	109.74
	Total	109.74
	Add 1.50% Contingency Charges	1.65
	Sub Total	111.38
	Add 4% Establishment Charges	4.46
	Grand Total (In Lacs)	115.84

पत्रावली के पैरा 66-68/N पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने से बहुदेशीय सहरिया कन्या छात्रावास जिला बारां में आवासीय विद्यालय संचालन हेतु 4 कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, प्रधानाचार्य रूम एवं निर्माण कार्य की निम्नानुसार शर्तों के अधीन राशि रु. 115.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:-

क्र. स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशा. स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति		कार्यकारी एजेन्सी को देय राशि कन्टीजेंसी राशि @ 1.25%	आयुक्तालय के खाते में जमा होने वाली कन्टीजेंसी राशि 0.25%
			क्र./दि	राशि		
1	बहुदेशीय सहरिया कन्या छात्रावास जिला बारां में आवासीय विद्यालय संचालन हेतु 4 कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, प्रधानाचार्य रूम एवं निर्माण कार्य	115.84	SE/Tech./ 21-22/ 27.07.20 21	115.84	1.375	0.275

उक्त कार्य हेतु राशि रु 115.84 लाख की व्यवस्था स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec Schools, Colleges and other education intuitions हेतु राशि रु. 1619.72 लाख में से किये जायेंगे। कन्टिजेन्सी चार्ज राशि रु. 1.65 लाख में से 0.25 प्रतिशत रु. 0.27 लाख आयुक्त कार्यालय के खाते में जमा होगी। स्वीकृति राशि रु 115.84 लाख में से आयुक्तालय पर रखे जाने वाले कन्टिजेंसी चार्ज राशि रु 0.27 लाख को कम करते हुए राशि रु. 115.57 लाख की 80 प्रतिशत राशि रु 92.45 लाख वर्तमान में अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद को हस्तान्तरित किया जावे।

विभागीय आदेश क्रमांक एफ-6 ( )लेखा/सीटीएडी/अधिकारों प्रत्यायोजन/2020-21 / क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में 0.25 प्रतिशत राशि रु. 0.27 लाख प्रोजेक्ट मोनिटरिंग हेतु आयुक्तालय के खाते में जमा होगी।

**शर्त :-**

- यदि स्वीकृति कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे एवं स्वीकृति को शून्य समझा जावे।

2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति भिजवाई जावे।
4. कार्य स्वीकृत तकमीने एवं अनुमोदित साईट प्लान, डिजाईन ड्राईंग के अनुसार निष्पादन किया जावे। यदि कारण विशेष से अनुमोदित कार्यों पर जारी कार्यादेश या स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होना संभावित है, तो व्यय करने से पूर्व विभाग से सक्षम यथा समय स्वीकृत प्राप्त कर व्यय किया जावे।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय कार्य प्रारम्भ, प्रगति तथा पूर्ण फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटावे।
6. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में [com.tad@rajasthan.gov.in](mailto:com.tad@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. निविदा आदि कारणों से कार्य में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
8. स्वीकृत कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी का रहेगा और प्रचलित प्रक्रिया अनुसार कार्य निष्पादन अवधि में समस्त चैक नामर्स की पालना की जावे और सामग्री की गुणवत्ता जांच भी निरन्तर की जावे और इसका संधारण किया जावे।
9. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
10. स्वीकृत तकमीने में जो नोन बी.एस.आर आईटम(Non BSR) लिये गये हैं। उनको सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाने पश्चात् ही बी.ओ.क्यू. (Bill of Quantity) में लिया जावे तदनुसार ही भुगतान किया जावे।

— 90 —  
(प्रज्ञा केवलरमानी) I.A.S.

आयुक्त  
दिनांक

4/10/2021

क्रमांक :- यथोपरि / 29386-99

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, मा.राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बारां।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा, को भेज कर लेख है कि उक्त कार्य हेतु राशि रु. 115.84 लाख की व्यवस्था स्वीकृति सं.-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec Schools, Colleges and other education intuitions हेतु राशि रु. 1619.72 लाख में से किये जायेगे। कन्टिजेन्सी चार्ज राशि रु. 1.65 लाख में से 0.25 प्रतिशत रु. 0.27 लाख आयुक्त कार्यालय के खाते में जमा होगी। स्वीकृति राशि रु 115.84 लाख में से आयुक्तालय पर रखे जाने वाले कन्टिजेन्सी चार्ज राशि रु 0.27 लाख को कम करते हुए राशि रु. 115.57 लाख की 80 प्रतिशत राशि रु 92.45 लाख वर्तमान में अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद को हस्तान्तरित किया जावे।
6. परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
7. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, बारां
8. मोनिटरिंग/शिक्षा/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
9. अधीक्षक, बहुद्देशीय सहरिया कन्या छात्रावास जिला, बारां
10. गार्ड फाईल

10  
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)